फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय

क्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26.6.18	फरियादी समन उपरोक्त द्वारा 2018 में न्यायालय में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित सुरक्षा बाद बिहा टोपर रवाना हो चुका है इसलिये T.I. रा० पत्र का उत्तर कोई औचित्य नहीं रह गया है अतः मुख्यवाद के परिपेक्ष में T.I. रा० पत्र अभिखंडित किया गया। फरियादी केवल कुमार टोपर दर्ज नाम्बर 10 अभियो। आदेश सुनने न्यायालय में सुनाया गया।	बालराम दयाल

उपखण्ड अधिकारी
सोंगर लेक

Scanned by CamScanner